



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-11122023-250567
CG-MH-E-11122023-250567

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5020]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 2023/अग्रहायण 20, 1945

No. 5020]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 2023/AGRAHAYANA 20, 1945

रेल मंत्रालय
[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 11 दिसम्बर 2023

का.आ. 5249(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 17 अगस्त 2023 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिनियम संख्या का.आ. 3676(अ) तारीख 16 अगस्त 2023 जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, द्वारा उक्त अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, मध्यप्रदेश राज्य विशेष रेल परियोजना अर्थात्, नीमच-रतलाम दोहरीकरण परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिनियम का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "दैनिक भास्कर (हिंदी)", "स्वतंत्र एलान (हिंदी)" व "फ्री प्रेस (अंग्रेजी)" में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी जिला मंदसौर द्वारा, तारीख 30 सितम्बर 2023 को प्रकाशित किया गया था और, तहसील मल्हारगढ़ के ग्राम खात्याखेड़ी और पिपल्यापंथ में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुए है एवं टीलाखेडा में दो आपत्तियां प्राप्त हुई और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को सौंप दी है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् नीमच-रतलाम दोहरीकरण परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

जिला : मंदसौर

स.क्र.	प.न.ह.	खसरा संख्या	अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार सिंचित/असिंचित	परिसम्पत्ति	भूमि मालिक का नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
तहसील: मल्हारगढ़						
ग्राम: खात्याखेड़ी						
01	20	250	0.249	सिंचित	निरंक	उंकारलाल पिता भुवान जाति सुथार निवासी बरखेड़ापंथ तहसील मल्हारगढ़
		योग	0.249			
तहसील: मल्हारगढ़						
ग्राम: पिपल्यापंथ						
01	20	368/2/4	0.043	व्यपवर्तित आवासीय	नीम-5, बबुल-1	राजेन्द्र कुमार, दिलीप कुमार, हरिश पिता माणकलाल, कलावतीबाई पति माणकलाल महाजन निवासी पिपलियामंडी तहसील मल्हारगढ़
		योग	0.043			
तहसील: मल्हारगढ़						
ग्राम: टीलाखेड़ा						
01	20	99	0.048	व्यपवर्तित व्यावसायिक	नीम-1	विष्णु, हेमन्त पिता दिनेश कुमार अग्रवाल निवासी पिपलियामंडी तहसील मल्हारगढ़
02	20	97/1/1/1/1	0.048	व्यपवर्तित आवासीय	निरंक	कौशल्याबाई बैवा बाबुलाल, हरीओम, सुनिल, सुमित्रा पिता बाबुलाल जाति महाजन निवासी पिपलियामंडी तहसील मल्हारगढ़
03	20	98/1	0.053	व्यपवर्तित आवासीय	चीड पेड़-1	कौशल्याबाई बैवा बाबुलाल, हरीओम, सुनिल, सुमित्रा पिता बाबुलाल जाति महाजन निवासी पिपलियामंडी तहसील मल्हारगढ़
04	20	98/2	0.080	व्यपवर्तित आवासीय	960 वर्ग फीट पक्की नाली, नारियल पेड़ - 1, आम पेड़ - 1, पीपल - 1, नीम पौधा - 3, अनार पौधा - 2, अमरूद पौधा - 3,	माहेश्वरी समाज ट्रस्ट कोषाध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार पिता जानकीलाल मुन्दडा निवासी पिपलियामंडी तहसील मल्हारगढ़

राजकुमार वानखेडे, मुख्य अभियंता/ निर्माण-III

Sr. No.	P.H. No.	Khasara No.	Area of Land to be acquired in Hact.	Type of Land Irrigated/ Unirrigated	Assets	Name of landowner/Interested Person
Tehsil: Malhargarh						
Village: Khatyakhedi						
01	20	250	0.249	Irrigated	Nil	Unkarlal father Bhuvan caste Suthar resident Barkhedapanth tehsil Malhargarh
		Total	0.249			
Tehsil: Malhargarh						

Village: Piplyapanth						
01	20	368/2/4	0.043	Diverted Residential	Neem-5, Babul-1	Rajendra Kumar, Dilip Kumar, Harish father Manaklal, Kalavatibai husband Manaklal Mahajan resident Pipliamandi tehsil Malhargarh.
		Total	0.043			
Tehsil: Malhargarh						
Village: Tilakheda						
01	20	99	0.048	Diverted Industrial	Neem-1	Vishnu, Hemant father Dinesh Kumar Agarwal resident Pipliamandi tehsil Malhargarh
02	20	97/1/1/1/1	0.048	Diverted Residential	Nil	Kaushalyabai Beva Babulal, Hariom, Sunil, Sumitra Father Babulal Caste Mahajan Resident Pipliamandi Tehsil Malhargarh
03	20	98/1	0.053	Diverted Residential	Cheed Tree - 1	Kaushalyabai Beva Babulal, Hariom, Sunil, Sumitra Father Babulal Caste Mahajan Resident Pipliamandi Tehsil Malhargarh
04	20	98/2	0.080	Diverted Residential	960 sqft. paved drain, Coconut tree - 1, Mango tree - 1, Peepal - 1, Neem plant - 3, Pomegranate plant - 2, Guava plant - 3, Custard apple plant - 3, Beelpatra plant - 1, Lemon plant - 1	Maheshwari Samaj Trust Treasurer Dr. Arun Kumar Father Jankilal Mundada resident Pipliamandi Tehsil Malhargarh
		Total	0.229			

[F. No. E-Office E 259252-22]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Engineer (Construction) III